तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो इ...
6/5/26	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। वादी का वाद को स्वीकार किया जाता है कि वाद निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। ~~पत्रावली~~ पत्रावली [illegible] मुताबिक नक्शा से [illegible] पत्रावली [illegible] से शामिल हो सहायक कलक्टर (कार्यक्रम) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
107/2024	25.05.2024	06.04.2026

बउनवान

1. गिरधारीलाल पुत्र सुखराम जाति चमार निवासी माजरी भाण्डा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. रमेश पुत्र मानिया
2. शिम्भू पुत्र मानिया
3. मदन पुत्र मानिया जातियान कंजर निवासीयान सोडावास तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी वकील :– श्री महेश गुर्जर

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि आराज़ी हाल ख0न0 593 रकबा 0.01 है0, 594 रकबा 0.52 है0, 598 रकबा 0.02 है0, ख0न0 597 रकबा 2.47 है0, में से रकबा 0.30 है0, वाके ग्राम सोडावास तह0 मुण्डावर में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल हाल जमाबन्दी संलग्न है।
2. यह है कि वर्तमान सैटलमेंट के द्वौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख०न० 1228/486 रकबा 1.26 है0, से हाल ख0न0 593 रकबा 0.01 है0, 594 रकबा 0.52 है0, 598 रकबा 0.02 है0, व ख0न0 597 में रकबा 0.30 है0, मिलाकर पैमूद किया गया है। नकल मिलानक्षेत्रफल संलग्न है।
3. यह है कि, गत आराजी ख0न0 1228/486 में प्रतिवादी स0 1 ल0 3 शिम्भू रमेश, मदन पुत्रान मानिया का 61625/136125 भाग रहा है, जिस आराजी पर प्रतिवादी स0 1 ल0 3 शिम्भू, रमेश, मदन अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त रहे है।
4. यह है कि प्रतिवादी स0 1 ल0 3 शिम्भू, रमेश, मदन पुत्रान मानिया जाति कंजर निवासी सोडावास को पैसों की आवश्यकता होने पर दिनांक

सहायक कलक्टर (का०द्वे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

07/1/2010 को मिन वादी को अपने हिस्से 61625/136125 भाग में से 3741/136125 भाग का बेचान जरियें रजिस्टेड बैयनामा कर दिया तथा मौका पर मिन वादी को कब्जा सम्भलवा दिया।

5. यह है कि मिन वादी के नाम बैयनामा के आधार पर इन्तकाल स0 1284 दिनांक 5/3/2010 को राजस्व रिकॉड में दर्ज व मंजूर हो गया तथा मिन वादी ने उक्त जायदाद वास्ते रिहायस खरीद की थी तथा मिन वादी ने अपने खरीदशुद्वा जायदाद के चारदिवारी निर्मित कर, रिहायसी मकानात बनाकर, रिहायस करते आ रहे है।

6. यह है कि गत ख0न0 1228/486 अलवर बहरोड पर स्थित रही है, जिस आराजी में से मिन वादी द्वारा विक्रेता प्रतिवादी स0 1 ल0 3 से 3741/13625 भाग जरियें रजिर्स्ट्टड बैयनामा वास्ते रिहायस प्लॉट के रूप में खरीद की गयी थी तथा मिन वादी की खरीदशुद्वा जायदाद रोड से करीब 400 फुट दूर रही है। जिस पर मिन वादी ने चारदिवारी कर, पुख्ता रिहायसी मकान का निर्माण कर, रिहायस कर रहे है।

7. यह है कि सन् 2014 में पी.डब्लू डी विभाग द्वारा गत साबिक ख0न0 1228/486 रकबा 1.26 है0, में से प्रतिवादी स0 1 ल0 3 शिम्भू, रमेश, मदन पुत्रान मानिया जाति कंजर का शेष रकबा 48896/13625 भाग में से 0.30 है0 वास्ते सडक अवाप्त कर लिया, जिसका इन्तकाल सं0 1543 दिनांक 8/10/2014 को दर्ज व मंजूर हो गया।

8. यह है कि वर्तमान सैटलमेंट के द्वौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख0 न0 1228/486 रकबा 1.26 है0, से हाल ख0 न0 593 रकबा 0.01 हैक0, 594 रकबा 0.52 हैक0, 598 रकबा 0.02 हैक०, हैक०, पैमूद कर, गत ख0न0 1228/486 का रकबा 0.30 है0, जो प्रतिवादी स0 1 ल0 3 का हिस्से में रहा है, को गैर मु0 सडक ख0न0 597 में मिलाकर पैमूद कर दिया, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा वक्त पैमूद करते हाल ख0न0 597 मिन वादी का हिस्सा 17458/2241525 भाग रोड में दर्ज कर, हाल ख0न0 593, 594, 598 में हिस्सा 1247/45375 दर्ज कर दिया, जो अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून किया गया है, जबकी पी.डब्लू डी विभाग द्वारा ना तो मिन वादी की भूमि को अवाप्त किया है, ना ही मिन वादी को कोई मुआवजा दिया गया है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका मिन वादी का हिस्सा रोड में दर्ज कर दिया। जबकी राजस्व कर्मचारियों को प्रतिवादी स0 1 ल0 3 के हिस्से की आराजी को रोड में दर्ज करना चाहीए था, इसलिए मिन वादी को प्रतिवादी 01 ल0 3 के नाम दर्ज आराजी 593 594 598 में से रकबा 17458/2241525 भाग कम कराकर, उक्त रकबा 17458/2241525 को हाल ख0 न0 593, 594, 598 में दर्ज कराकर, मिन वादी का हिस्सा 3741/136125 भाग दर्ज कराकर, राजस्व रिर्कोड दूरूस्त कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दूरुस्ती पेश किया जाना लाजिमी आया है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

9. यह है कि मिन वादी अपनी खरीदशुद्धा जायदाद पर चारदिवारी व पुख्ता रिहायसी मकानात का निर्माण कर, उपयोग उपभोग करता आ रहा है, इसलिए मिन वादी को राजस्व रिर्कोड में गलत इन्द्राज की जानकारी नही हुयी, लेकिन अब दिनांक 20/5/2024 को मिन वादी को राजस्व रिकॉड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिर्कोड की नकल चाही तो उक्त गलत अंकन की जानकारी हुयी, जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादी स0 4 से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिकॉड दूरूस्त करने बाबत कहा तो प्रतिवादी स0 4 ने राजस्व रिकॉड दूरूस्त करने से मना कर दिया तथा कहा कि सक्षम अदालत से रिर्कोड दूरूस्त कराओ। जिस पर यह दावा अविलम्ब ही अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

वादी ने अपने वाद के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे–

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इस प्रकार पारित की जावे कि गत ख0न0 1228/486 रकबा 1.26 है0, के रकबा 3741/136125 में से जो हाल ख0न0 597 रकबा 247 है0, में दर्ज किया है, उक्त रकबा 17458/2241 को प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 के नाम दर्ज आराजी 593, 594, 598 में से कम किया जाकर, उक्त रकबा को आराजी हाल ख0न0 593, 594, 598 में मिलाकर मिन वादी का रकबा 3741/136125 भाग दर्ज कर, राजस्व रिर्कोड दूरूस्त फरमाया जावे।

(ब) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावें।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श स0 –1 बैयनामा दिनांक 07.01.2010 किता–10, प्रदर्श –2 नक्शा विवादित आराजी, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2065–2068, प्रदर्श–4 मिशल, प्रदर्श स0 5 जमाबन्दी सम्वत 2072–2078, प्रदर्श 6 जमाबन्दी सम्वत 2072–78, प्रदर्श 7 जमाबन्दी सम्वत 2072–2078 किता–7, प्रदर्श 8 जमाबन्दी सम्वत 2072–78, प्रदर्श–9 इन्तकाल, प्रदर्श–10 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 किता–2, प्रदर्श–11 जमाबन्दी सम्वत 2073–2078 किता–1 पेश की।

लिखित बहस वादी की तरफ से जरियें वकील महेश कुमार गुर्जर की और से निम्न प्रकार पेश है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

1. यह है कि उपरोक्त अनुवानी प्रकरण अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। जिसमें आज की तारीख पेशी नियत है।
2. यह है कि उक्त अनुवानी प्रकरण अन्तिम बहस में चल रही है ।
3. यह है कि मिन वादी द्वारा अदालत श्रीमान के समक्ष एक वाद इश्तकरारहक मय दूरूस्ती अर्न्तगत धारा 88, 89 राज0 कश्त0 अधि0 के तहत आराजी हाल ख0न0 593 रकबा 0.01 हैक0, 594 रकबा 0.52 हैक0, 598 रकबा 0.02 हैक0, ख0न0 597 रकबा 2.47 हैक0, में से रकबा 0.30 हैक0, वाके ग्राम सोडावास तह0 मुण्डावर में स्थित है तथा वर्तमान सैटलमेंट के द्वौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख0न0 1228/486 रकबा 1.26 हैक0, से हाल ख0न0 593 रकबा 0.01 हैक0, 594 रकबा 0.52 हैक0, 598 रकबा 0.02 हैक0, व ख0न0 597 में रकबा 0.30 हैक0, मिलाकर पैमूद किया गया है तथा गत आराजी ख0न0 1228/486 मे प्रतिवादी स0 1 ल0 3 शिम्भू , रमेश, मदन पुत्रान मानिया का 61625/136125 भाग रहा है, जिस आराजी पर प्रतिवादी स0 1 ल0 3 शिम्भू, रमेश, मदन अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त रहे है, प्रतिवादी स0 1 ल0 3 शिम्भू, रमेश, मदन पुत्रान मानिया जाति कंजर निवासी सोडावास को पैसों की आवश्यकता होने पर दिनांक 7/1/2010 को मिन वादी को अपने हिस्से 61625/136125 भाग में से 3741/136125 भाग का बेचान जरियें रजिर्स्टड बैयनामा कर दिया तथा मौका पर मिन वादी को कब्जा सम्भलवा दिया तथा मिन वादी के नाम बैयनामा के आधार पर इन्तकाल स0 1284 दिनांक 5/3/2010 को राजस्व रिर्कोड में दर्ज व मंजूर हो गया तथा मिन वादी ने उक्त जायदाद वास्ते रिहायस खरीद की थी तथा मिन वादी ने अपने खरीदशुद्वा जायदाद के चारदिवारी निर्मित कर, रिहायसी मकानात बनाकर, रिहायस करते आ रहे है तथा गत ख0न0 1228/486 अलवर – बहरोड पर स्थित रही है, जिस आराजी में से मिन वादी द्वारा विकेता प्रतिवादी स0 1 ल0 3 से 3741/13625 भाग जरियें रजिर्स्टड बैयनामा वास्ते रिहायस प्लॉट के रूप में खरीद की गयी थी तथा मिन वादी की खरीदशुद्वा जायदाद रोड से करीब 400 फुट दूर रही है। जिस पर मिन वादी ने चारदिवारी कर, पुख्ता रिहायसी मकान का निर्माण कर, रिहायस कर रहे है, लेकिन सन् 2014 में पी. डब्लू डी विभाग द्वारा गत साबिक ख0न0 1228/486 रकबा 1.26 हैक0, में से प्रतिवादी स0 1 ल0 3 शिम्भू, रमेश, मदन पुत्रान मानिया जाति कंजर का शेष रकबा 48896/13625 भाग में से 0.30 हैक0 वास्ते सडक अवाप्त कर लिया, जिसका इन्तकाल स0 1543 दिनांक 8/10/2014 को दर्ज व मंजूर हो गया तथा वर्तमान सैटलमेंट के द्वौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख0न0 1228/486 रकबा 1.26 हैक0, से हाल ख0न0 593 रकबा 0.01 हैक0, 594 रकबा 0.52 हैक0, 598 रकबा 0.02 हैक0, हैक0, पैमूद कर, गत ख0न0 1228/486 का रकबा 0.30 हैक0, जो प्रतिवादी स0 1 ल0 3 का हिस्से में रहा है, को गैर मु0 सडक ख0न0 597 में मिलाकर पैमूद कर दिया, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा वक्त पैमूद करते हाल ख0न0 597 मिन वादी का हिस्सा

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

17458 / 2241525 भाग रोड में दर्ज कर, हाल ख0न0 593, 594, 598 में हिस्सा 1247 / 45375 दर्ज कर दिया, जो अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून किया गया है, जबकी पी.डब्लू डी विभाग द्वारा ना तो मिन वादी की भूमि को अवाप्त नही किया है, ना ही मिन वादी को कोई मुआवजा दिया गया है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका मिन वादी का हिस्सा रोड में दर्ज कर दिया। जबकी राजस्व कर्मचारियों को प्रतिवादी स0 1 ल0 3 के हिस्से की आराजी को रोड में दर्ज करना चाहीए था, इसलिए मिन वादी को प्रतिवादी स0 1 ल0 3 के नाम दर्ज शेष में से रकबा 17458 / 2241525 भाग कम कराकर, उक्त रकबा 17458 / 2241525 को हाल ख0न0 593, 594, 598 में दर्ज कराकर, मिन वादी का हिस्सा 3741 / 136125 भाग दर्ज कराकर, राजस्व रिर्कोड दूरूस्त कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया है तथा मिन वादी अपनी खरीदशुद्वा जायदाद पर चारदिवारी व पुख्ता रिहायसी मकानात का निर्माण कर, उपयोग उपभोग करता आ रहा है, इसलिए मिन वादी को राजस्व रिर्कोड में गलत इन्द्राज की जानकारी नही हुयी, लेकिन अब दिनांक 20 / 5 / 2024 को मिन वादी को राजस्व रिर्कोड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिर्कोड की नकल चाही तो उक्त गलत अंकन की जानकारी हुयी, जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादी स0 4 से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिर्कोड दूरूस्त करने बाबत कहा तो प्रतिवादी स0 4 ने राजस्व रिर्कोड दूरूस्त करने से मना कर दिया तथा कहा कि सक्षम अदालत से रिर्कोड दूरूस्त कराओ। जिस पर यह दावा अविलम्ब ही अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

4. यह है कि मिन वादी द्वारा पेश वाद में अदालत श्रीमान द्वारा सम्मन जारी किया गया, जिस पर प्रतिवादी स0 1 ल0 3 की तामील होने पर प्रतिवादीगण हाजिर अदालत नही आये तथा अदालत श्रीमान द्वारा नियमानुसार प्रतिवादी स0 1 ल 3 की एक्सपार्टी अमल में लायी गयी तथा प्रतिवादी स0 4 द्वारा अपना जवाब दावा पेश किया है, जिसमें ख0न0 597 किस्म गैर मु0 सडक रिर्कोड में दर्ज होना दर्शित किया है।
5. यह है कि उक्त विवादित जायदाद मिन वादी की खरीदशुद्वा रिहायसी जायदाद रही है, लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा वक्त सैटलमेंट मिन वादी की खरीदशुदा हिस्से की आराजी को गैर मु0 सडक ख0न0 597 में दर्ज कर दिया, जबकी सैटलमेंट विभाग को प्रतिवादी स0 1 ल0 3 की आराजी को गैर मु0 सडक में दर्ज करना चाहीए था। इसलिए मिन वादी गैर मु0 सडक ख0न0 597 रकबा 2.47 हैक्0, में से रकबा 17458 / 2241525 भाग कम कराकर, उक्त रकबा 17458 / 2241525 को हाल ख0न0 593, 594, 598 में दर्ज कराकर, मिन वादी का हिस्सा 3741 / 136125 भाग दर्ज कराकर, राजस्व रिर्कोड दूरूस्त कराने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

6. यह है कि मिन वादी की भूमि को बिना अवाप्त किये किये व बिना मुआवजा किये ही गैर मु0 सडक दर्ज कर दिया, जबकी मिन वादी की जायदाद वास्ते रिहायस खरीदशुदा रही है, तथा मिन वादी की खरीदशुदा के साथ प्रतिवादी स0 1 ल0 3 की जायदाद रही है, जो जायदाद रोड के साथ लगती हुयी रही है, लेकिन सैटलमेंट विभाग द्वारा रोड के साथ लगती भूमि को अवाप्त नही कर, रोड से काफी यानि 400 मिटर दूर स्थित आराजी को रिर्कोड में गैर मु0 सडक दर्ज कर दिया, जो अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून किया गया है।

7. यह है कि मिन वादी ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वंय के बयान का शपथ पत्र पेश किया तथा तथा मिन वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श स0 1 बैयनामा व प्रर्दश 2 नक्शा , प्रर्दश 3 इन्तकाल व प्रर्दश 4 हाल मिलान क्षेत्रफल व प्रर्दश स0 5 व 6 हाल जमाबन्दी सम्वत 2072 ल0 2078 व प्रर्दश 7 हाल जमाबन्दी आधार वर्ष प्रर्दश 8 हाल जमाबन्दी, प्रर्दश 9 जमाबन्दी सम्वत 2072, प्रर्दश 10 जमाबन्दी हाल 2073 ल0 2076 किता 7 व प्रर्दश 11 हाल जमाबन्दी पेश किये है, तथा जिन दस्तावेज के आधार पर मिन वादी केस आयद सो साबित है, इसलिए वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर, राजस्व रिर्कोड दूरूस्त फरमाया जावे।

अतः लिखित बहस पेशकर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

संक्षिप्त विवेचन

वादकर्ता द्वारा प्रस्तुत वाद, दस्तावेजी साक्ष्य एवं शपथपत्र का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वादी ने विवादित आराजी का विधिवत क्रय दिनांक 07.01.2010 के पंजीकृत बैयनामे के माध्यम से किया तथा उसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण भी विधिवत दर्ज एवं स्वीकृत हुआ। वादी उक्त भूमि पर चारदीवारी कर पक्का निर्माण कर निवास करता आ रहा है।

अभिलेखों से यह भी प्रमाणित होता है कि वर्ष 2014 में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्त की गई, किन्तु उक्त अवाप्ति प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि से की गई थी, न कि वादी की भूमि से। इसके बावजूद वर्तमान सैटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश वादी के हिस्से की भूमि को गैर मुमकिन सड़क (खसरा नं. 597) में दर्ज कर दिया गया, जो तथ्यात्मक स्थिति एवं विधि के विपरीत है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (बैयनामा, जमाबंदी, इन्तकाल, नक्शा आदि) उसके स्वामित्व एवं कब्जे को प्रमाणित करते हैं। प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण वादी के साक्ष्य का खंडन नहीं हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा भी इस त्रुटि का उचित खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया।

सहायक कलक्टर (ग्रा0ट्रे0)
मुण्ड़ावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अतः यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि राजस्व अभिलेखों में हुई त्रुटि को सुधारते हुए वादी के वास्तविक हिस्से को पुनः संबंधित खसरा नंबर 593, 594, 598 में दर्ज किया जाए।

इस प्रकार, वादी का दावा साक्ष्यों एवं विधि के आधार पर सिद्ध होता है, अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

आदेश

वादी का वाद विचारणोपरांत साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर सत्य एवं प्रमाणित पाया गया। अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।
अतः आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 593, 594, 598 वाके ग्राम सोडवास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में वादी को 2860/45375 रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के रकबे में से 1613/45375 रकबे को हजफ कर वादी के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रकबे में समायोजित किया जावें। **पर्चा डिक्री जारी हो।**

यह निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन) सहायक कलक्टर (का0ट्रे0)
सहायक कलक्टर मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
107/2024	25.05.2024	06.04.2026

बउनवान

1. गिरधारीलाल पुत्र सुखराम जाति चमार निवासी माजरी भाण्डा तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. रमेश पुत्र मानिया
2. शिम्भू पुत्र मानिया
3. मदन पुत्र मानिया जातियान कंजर निवासीयान सोडावास तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री महेश गुर्जर एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में **दिनांक 06.04.2026** को **श्रीमती सृष्टि जैन, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ था। पर्चा डिक्री जारी की जाती है :–

अतः आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 593, 594, 598 वाके ग्राम सोडवास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में वादी को 2860/45375 रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के रकबे में से 1613/45375 रकबे को हजफ कर वादी के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रकबे में समायोजित किया जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner